(17)

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 18/2022 बउनवानी लेखराज बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर पुत्र श्री केलाश मीना, नि0बडागांव कहार, तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2022/18 **On line Appeal No-321786724054186**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 4.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1- ग्राम पंचायत बडागांव कहार मे कितनी सरकारी भूमि है कितनी भूमि चरागाह है कितनी भूमि पर लोगो द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। गांव में लोगो ने रास्तो पर अतिक्रमण कर रखा है आपने कितने रास्ते अतिक्रमण मुक्त करवाए और नही तो क्यो नही ? आपने प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम में क्या किया।

2- कितने लोगो को सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए लीगल नोटिस जारी किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू.अ./22/410 दिनांक 8.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 पर चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है तथा पूर्ण विवरण भी अंकित नही है किन्तु फिर भी तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के परिप्रेक्ष्य में ग्राम बडागांव कहार की सिवायचक, चरागाह भूमि की जमाबन्दी मय रकबा की सूचना जरिये पत्रांक 6113 दिनांक 27.12.2021 से एवं खसरा परिवर्तशील सम्वत् 2077, तथा धारा 91 के प्रकरणों के दर्ज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति जरिये पत्रांक भू.अ./22/409 दिनांक 8.2.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.11.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के परिप्रेक्ष्य में ग्राम बडागांव कहार की सिवायचक, चरागाह भूमि की जमाबन्दी मय रकबा की सूचना तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 6113 दिनांक 27.12.2021 से एवं खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2077, तथा धारा 91 के प्रकरणों के दर्ज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति जरिये पत्रांक भू.अ./22/409 दिनांक 8.2.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अपीलान्ट को उक्त सूचना [illegible] प्रति न्यायालय हाजा की ओर से भी उपलब्ध करवायी गयी जिस [illegible] नही की [illegible] एवं सूचना से संतुष्ठ होना बताया गया है। इसलिए अपील [illegible] खारिज किया जाना [illegible] समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:02:16 IST
Reason: SelfAttested